संसाधन पुस्तिका

aadi

आदि द्वारा विकसित

सौजन्य से

THE hans FOUNDATION

प्रस्तावना

इस संसाधन पुस्तिका के माध्यम से बल्लभगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण वासियों , विकलांग व्यक्तियों व उनके परिवारों को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में तथा उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। पुस्तिका में कुछ ही मुख्य क्षेत्रों व विभागों से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई है तथा यह अगस्त व सितम्बर माह 2016 में एकत्रित जानकारियों के आधार पर बनी है । अतः समय के साथ कुछ जानकारी आगे परिवर्तित होगी तथा कुछ नई जानकारी व विभाग इस पुस्तिका में जुड़ते चले जायेंगे ।

आशा है इस पुस्तिका के अन्दर एकत्रित की हुई जानकारी से समुदाय के लोगों को लाभ पहॅंचेगा ।

गतिशीलता व परिवहन

1. गतिशीलता व परिवहन

देश में व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने व जाने की संवैधानिक स्वतंत्रता है । व्यक्ति के शारीरिक स्थिति के बदलने, चलने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने–जाने को गतिशीलता कहते हैं। प्रत्येक इंसान को अपने दैनिक जीवन

की आवश्यकताओं की पूर्ति व अपने वातावरण को जानने व उससे जुड़ने तथा स्वतंत्रता से जीवन जीने के लिए गतिशीलता की आवश्यकता होती है। गतिशीलता में जिन व्यक्तियों को कोई परेशानी नही है वे तो स्वयं कहीं भी आने–जाने में स्वतंत्र व सक्षम हैं परंतु जिन व्यक्तियों को कोई परेशानी है जिनमें वृद्व, अस्थायी परेशानी व विकलांग व्यक्ति सम्मलित हैं, को गतिशीलता के लिए किसी ना किसी प्रकार के सहारे की आवश्यकता हो सकती है चाहे वो सहारा मानवीय हो या किसी प्रकार के उपकरण का हो ।

एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने–जाने के लिए व्यक्ति परिवहन के किसी प्रकार के माध्यम का उपयोग भी कर सकता है। परिवहन के प्रमुख माध्यमों में बस, रेल ,जल तथा हवाई मार्ग हैं।

कुछ व्यक्ति जिनमें वृद्ध, अस्थायी परेशानी वाले व विकलांग व्यक्ति शामिल हैं ,एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने व जाने के लिए अपनी जरूरतानुसार सहारे प्रयोग करते हैं।

1.1 रैड कॅ्रास सोसायटी

फरीदाबाद जिले में सहारे एवं कृत्रिम अगों को उपलब्ध करवाने के लिए जिला रैड कॅ्रास सोसायटी अग्रणी संस्था है ,जिसमें जिला आयुक्त, जिला रैड कॅ्रास सोसॅायटी के अध्यक्ष होते हैं। रैड कॅ्रास सोसायटी के जिला स्तर का पता है :

जिला रैड कॅ्रास सोसायटी,
रैड क्रास भवन, सैक्टर –12, कोर्ट,
फरीदाबाद, फोन नम्बर –0129 2283176, 9958331199

इसके द्वारा कई योजनाऍ चलाई जा रही हैं जो इस प्रकार हैं :

- ✓ विकलांग पुर्नवास केन्द्र
- ✓ नशा उपचार केन्द्र
- ✓ आरोग्य औषधालय
- ✓ व्हीलचेयर व तिपहिया साईकिल
- ✓ एंम्बूलेन्स सेवा
- ✓ प्राथमिक उपचार एवं गृह नर्सिंग कोर्स
- ✓ कुष्ठ रोगियों की देखभाल
- ✓ कार्यरत महिला हॉस्टल
- ✓ रक्त समूह जॉच
- ✓ रंगीन फोटो सुविधा
- ✓ फॉर्म/फाईल सेल कॉउन्टर

ऊपर दी गई सभी सुविधाओं के लिए जिला रैड कॅ्रास सोसायटी में ही सम्पर्क करना होगा ।

पता है :

जिला रैड कॅ्रास सोसायटी,

रैड क्रास भवन, सैक्टर –12, कोर्ट, फरीदाबाद
फोन नम्बर –0129 2283176, 9958331199

पुर्नवास केन्द्र से सुविधा लेने की प्रक्रिया

विकलांग पुर्नवास केन्द्र से सुविधा प्राप्त करने के लिए बादशाह खान अस्पताल में पंजीकरण पर्ची के साथ कमरा नम्बर 35, लाल बिल्डिंग में जाना है तथा वहॉ से अधिवासी प्रमाण पत्र का फॉर्म लेना है। इस फॉर्म को सरपंच/राजपत्रित अधिकारी/स्थानीय निगम पार्षद से सत्यापित करवा कर जमा करना होता है तथा सहारे का माप देकर उसके अनुसार बना हुआ सहारा प्राप्त किया जाता है।

सहारे एवं कृत्रिम अगों को बनवाने एवं लेने के लिए सम्पर्क करें :

श्री जयपाल,
कमरा नम्बर 35, लाल बिल्डिंग,
बादशाह खान अस्पताल, फरीदाबाद
फोन नम्बर–9958763761

जन सूचना अधिकार 2015 के तहत् भी जिला रैड क्रॅास सोसायटी कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि यहॉ से समाधान नही होता है तो राज्य स्तर के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसका पता है :

भारतीय रैड क्रॉस सयोसायटी ,हरियाणा राज्य शाखा ,
रैड क्रॉस भवन , मध्य मार्ग ,
सेक्टर – 16 ए , चण्डीगढ़–160016
फोन 0172 – 2546330 , 2543889
मेबाईल –901 –9216223444
ईमेल – **hr@readiffmail.com**

जन सूचना अधिकार 2015 के तहत् प्रथम अपीलीय प्राधिकरण से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । जन सूचना के तहत् प्रथम अपीलीय प्राधिकरण है :

माननीय सचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ,
भरतीय रैड क्रॅास सोसायटी,
हरियाण राज्य शाखा , रैड क्रॉस भवन ,
मघ्य मार्ग , सेक्टर –16 ए , चण्डीगढ़ –160016
फोन : 0172 –2546330

कैम्प के द्वारा कृत्रिम अंग व उपकरण

सरकारी कैम्प डी.सी व एस.एस.ए के माध्यम से लगाये जाते हैं। ये कैम्प प्रत्येक वर्ष लगते हैं। डी.सी द्वारा आयोजित कैम्प में किसी भी आयु के विकलांग व्यक्ति को निःशुल्क सहारे प्राप्त होते हैं । एस.एस.ए जो कैम्प लगाता है ,उसमें सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सहारे दिये जाते हैं।

प्रक्रिया

विकलांग बच्चों व उनके परिवारों को अपने आप निर्धारित कैम्प वाले दिन सुबह 10 बजे पहुॅचना होता है ,साथ में विकलांगता प्रमाण पत्र , आधार कार्ड व 2 फोटो ले जाने होते हैं । उस दिन कैम्प में पंजीकरण व नाप लिया जाता है । सहारे 1 महीने से 3 महीने के अन्तराल में मिलते हैं ।

कुछ गैर सरकारी संस्थाऐं जैसे महावीर विकलांग केन्द्र ,रोटरी क्लब,लायंस क्लब, अग्रवाल सेवा समिति इत्यादि भी समय–समय पर जिले में सहारे एवं कृत्रिम अगों का वितरण कैम्प के जरिए करती हैं ।

1.2 राजीव गॉधी फाउन्डेशन की एक्सिस टू ऑर्पच्यूनिटी योजना

योजना क्या है ?

शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को पढाई, रोजगार व अन्य कार्यो को करने के लिए व एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने–जाने के लिए सहारों की आवश्यकता होती है । राजीव गांधी फाउन्डेशन इन सहारों के वितरण मे अग्रणी संस्था है। इस संस्था के द्वारा दिए जाने के वाले सहारों में स्कूटी (जिसमें पिछले वाले पहिये में बदलाव किया हुआ होता है),कायनैटिक स्कूटर (तीन पहिए वाला स्कूटर) प्रमुख है ।

प्रक्रिया

राजीव गॉधी फाउन्डेशन के तहत् स्कूटी (जिसमें पिछले वाले पहिये में बदलाव किया हुआ होता है)या कायनैटिक स्कूटर (तीन पहिए वाला स्कूटर) लेने के लिए फॅार्म राजीव गॉधी फाउन्डेशन से ही मॅगवाया जा सकता है या उनके बताये गये स्थान से स्वयं ही लेना होता है। फॅार्म के लिए राजीव गॉधी फाउन्डेशन में फोन के द्वारा सम्पर्क कर सकते हैं । विकलांगता प्रमाण पत्र की कापी ,आयु प्रमाण पत्र की कापी के आधार पर फॅार्म मिलता है जिसे पूरा कर पुनः राजीव गॉधी फाउन्डेशन मे जमा करवाना होता है ।

राजीव गॉधी फाउन्डेशन का पता व फोन नम्बर है :

राजीव गॉधी फाउन्डेशन
जवाहर भवन , डॉ राजेन्द्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली – 110001
फोन न0 011 23755117 , 23312456
फैक्स न0 : 011 23755119
ई –मेल **info@rgfindia.org**
web : www.rgindia.org

पात्रता :

न्यूनतम 60 **%** विकलांगता होनी चाहिए । आयु 18 वर्ष से 34 वर्ष की होनी चाहिए । विद्यार्थियों को वरीयता दी जाती है। विकलांगता प्रमाण पत्र की कापी (अटैस्टेड) तथा आयु प्रमाण पत्र की कापी (अटैस्टेड) के आधार पर फॉर्म मिलता है, जिसे पूरा कर पुनः राजीव गॉधी फाउन्डेशन में जमा करवाना होता है ।

फॉर्म के लिए सितम्बर के पहले सप्ताह में राजीव गॉधी फाउन्डेशन में सम्पर्क करें ।

1.3 शिक्षा विभाग

पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों को विद्यालय से सहारे एवं कृत्रिम अगं मिलते हैं, इन सभी प्रकार की योजनाओं एवं सुविधाओं के लिए ग्राम स्तर पर विद्यालयों में आने वाली सम्बन्धित संसाधन अध्यापिकाओं से सम्पर्क कर सकते हैं जो निम्नलिखित हैं :

श्रीमती सरला – 9911810370 (दयालपुर)
श्रीमती अमर ज्योति – 9818237292 (बीजोपूर ,लदियापुर)
श्रीमती मधु
श्रीमती वर्षा – 9716971271
श्रीमती लक्ष्मी –8130143120
श्रीमती अकविन्दर कौर – 9540492839

यदि और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है या ग्राम स्तर पर समस्या का समाधान नही होता है तो इसके बाद ब्लॉक स्तर पर आई.ई.डी. इन्चार्ज से मिलें, जो कि बल्लभगढ़ ब्लॉक के राजकीय उच्च वरिष्ठ विद्यालय (तिगॉव रोड) में बैठती हैं।

श्रीमती स्नेहलता कौल – 9211766558 (प्रातः 8.30 से 2.00 बजे तक)

इसके बाद भी समस्या का समाधान नही होता है, तो ब्लॉक एलीमेन्टरी एजुकेशन अधिकारी (बी.ई.ई.ओ.) से मिले जिनका नाम व पता है :

श्रीमती अनिता शर्मा , (बी.ई.ई.ओ.)
शिक्षा विभाग कार्यालय, सैक्टर –7,
फरीदाबाद
फोन नम्बर– 9810383271 ,0129– 2288386

अथवा

श्रीमती अलका **(**एस.एस.ए**)**
शिक्षा विभाग कार्यालय, सैक्टर –7,
फरीदाबाद
फोन नम्बर– 8010747909

यदि और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है या ब्लॉक स्तर पर समस्या का समाधान नही होता है, तो इसके बाद जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ई.ओ.) से मिलें। मिलने का दिन मंगलवार समय प्रातः 10 से 1बजे तक है।

जिनका नाम व पता है :

श्रीमती सतेन्द्र कौर (डी.ई.ई.ओ.)
फोन नम्बर– 9711185639 , 0129 –2221971
अथवा
श्री मनोज कौशिक (डिप्टी डी.ई.ओ)
शिक्षा विभाग कार्यालय,
सैक्टर –16, फरीदाबाद

यदि जिला स्तर के द्वारा भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो राज्य स्तर के शिक्षा विभाग कार्यालय से सम्पर्क करना होगा और अपनी समस्या या सुझाव बतानें होंगे। जन सूचना अधिकार 2005 के तहत् भी राज्य स्तर के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमे जन सूचना अधिकारी, शिक्षा विभाग को 10/– के पोस्टल ऑर्डर के साथ पत्र भेजना है ।
राज्य स्तर के कार्यालय का पता है :

विद्यालयी शिक्षा निदेशालय,
प्लाट नम्बर 1/बी, शिक्षा सदन, प्रथम तल,
सैक्टर–5, पंचकूला ,हरियाणा ।
फोन नम्बर– 0129–2560269,2560453
Email : eduprimaryhry@gmail.com
edusecondaryhry@gmail.com

नोट– जो भी जन सूचना अधिकार पत्र लिख रहे हैं वे उसकी छाया प्रति अपने पास रख लें व जो भी कागज साक्ष्य के तौर पर लगा रहे हैं उनकी भी छाया प्रति ही भेजें, वास्तविक अपने पास रखें तथा पहले पत्र की छाया प्रति अवश्य लगायें। यदि सीधे अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा रहे हैं तो उसकी प्राप्ति रसीद अवश्य लें।

5.2 बस परिवहन

जिले में परिवहन विभाग के द्वारा ,लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुॅचाने के लिए सरकारी बसों को चलाया जाता है। इसका मुख्य कार्यालय बल्लभगढ़ बस स्टैंड के प्रथम तल पर है तथा यही बस डिपो भी है । हरियाणा परिवहन निगम के द्वारा विभिन्न वर्गो के व्यक्तियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई हैं । वो विभिन्न वर्ग है :

- विधायक व पूर्व विधायक
- सांसद व पूर्व सांसद
- स्वतंत्रता सेनानी
- स्वतंत्रता सेनानी की विधवा
- प्रेस रिर्पोटर
- लेखक जिसको हरियाणा में हिन्दी/ उर्द /संस्कृत/पंजाबी अकादमी से राज्य पुरस्कार प्राप्त हो
- लोक नृतक जो पुरस्कृत हो

- खिलाड़ी जो कि अजुर्न पुरस्कार विजेता ,ओलम्पिक विजेता के साथ राज्य स्तर विजेता भी हो
- हरियाणा सरकार द्वारा सम्पूर्ण जीवन के लिए युवा पुरस्कार प्राप्त
- हरियाण में वीरता पुरूस्कृत पुलिस कर्मी
- महिला व 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रक्षा बंधन के त्यौहार पर
- साक्षात्कार जो कि हारियाणा , दिल्ली और चंडीगढ़ में नये रोजगार से सम्बन्धित हो ,के लिए घर से साक्षात्कार स्थल तक व वापिस आने के लिए
- युद्व में शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों की विधवाओं के लिए (भारतीय थल सेना,जल सेना और वायुसेना)
- अन्ध व्यक्ति जिसके पास जिला उपायुक्त के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र है
- हरियाणा राज्य न्यायिक क्षेत्र में 100 % शारीरिक विकलांग व्यक्ति वाले व्यक्ति को तथा एक सहायक जो शारीरिक विकलांग व्यक्ति के साथ हो
- हरियाणा राज्य न्यायिक क्षेत्र में 100 % सुनाई की कमी वाले व्यक्ति के साथ एक सहायक
- मानसिक विकलांग व्यक्ति एक सहायक के साथ
- पैरालम्पिक खिलाडी
- (25 % या अधिक) युद्व–विकलांग हुए हरियाणा के सैनिक
- हीमोफिलिया मरीज
- थैलेसिमिया से पीड़ित व्यक्ति व उसके साथ व्यक्ति
- कैंसर रोगी को दो बार कम दूरी वाले ईलाज केन्द्रों तक जो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी पहचान पत्र मे अंकित हो
- हरियाणा सरकार के नम्बरदार जिला/तहसील मुख्यालय तक अधिकतम 10 बार व दो बार जिला मुख्यालय तक महीने में जा सकते हैं।
- हरियाण सरकार /सम्बन्धित या किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल /कालेज और संस्थान की छात्र–लडकी

हरियाणा राज्य परिवहन निगम की बसों में मिलने वाली रियायती सुविधा के वर्ग :

- सरकारी /अर्ध सरकारी राज्य /बोर्ड और निगम के कर्मचारी
- मान्यता प्राप्त स्कूल /कालेज और संस्थान जो हरियाण सरकार के द्वारा मान्यता हों या किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड से जुडे हों के छात्र–लडके
- HARITON COURSES जो हरियाण सरकार के द्वारा मान्यता के पूर्ण कालिक विद्यार्थी
- निरक्षक रैंक तक के पुलिस कर्मी और वर्ग 3 व 4 के मिनिस्टीरियल पुलिस कर्मी व जेल विभाग के कर्मचारी

राज्य स्तर के खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले रियायती सुविधा के वर्ग जिनको 75 % की रियायत मिलती है।

- शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तर पर के विभिन्न खेलों के विद्यार्थी भागीदार
- राज्य स्तर संघ, जो कि राज्य ओलम्पिक संघ से सम्बन्धित हैं, के द्वारा आयोजित, राज्य स्तर विभिन्न खेलों के, विजेता
- राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएॅ जो कि खेल विभाग या राज्य ओलम्पिक संघ के द्वारा आयोजित की जाती हैं, उनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए : राज्य स्तरीय खेल महोत्सव ,राज्य स्तरीय महिला खेल महोत्सव , राज्य स्तरीय पंचायत टूर्नामेन्ट तथा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव

- अखिल भारतीय ग्रामीण खेल जो हरियाणा में अयोजित हों, उनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए
- राष्ट्रीय स्तरीय खेल जो हरियाणा में अयोजित हुए हों ,जिनको राज्य स्तरीय खेल संध ने आयोजित किया और जिनका सम्बन्ध हरियाणा आलेम्पिक संघ से है या राष्ट्रीय स्तरीय खेल जो खेल विभाग हरियाणा के द्वारा आयोजित हो

आम व्यक्तियों के लिए पास के द्वारा रियायतें :

- महिलाऍं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है ,उन्हें 50 % की रियायत
- एन.सी.सी कैडट को कैम्प में जाने के लिए 50 % की रियायत
- पुरूष जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है उन्हें 50 % की रियायत

प्रक्रिया

रियायती बस पास बनवाने के लिए बल्लभगढ़ बस स्टैंड के प्रथम तल पर निशुल्क/रियायती पास बनवाने का फॉर्म मिलता है। फॉर्म को पूर्ण रूप से भरकर व दो पासपोर्ट आकार के फोटो तथा जरूरी दस्तावेज जैसे– विकलांगता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जिला उपायुक्त के द्वारा जारी विभिन्न पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज जिसके तहत् व्यक्ति रियायत चाहता है आदि की छायाप्रति फॉर्म के साथ लगानी होती हैं तथा वास्तविक दस्तावेज भी साथ लेकर जाना होता है । फॉर्म जमा होने के बाद व्यक्ति को बता दिया जाता है की कब रियायती पास बन कर मिलेगा ।

जिले में परिवहन सम्बन्धी किसी भी सुझाव व जानकारी या शिकायत के लिए महाप्रबंधक से सम्पर्क कर सकते हैं जिनका पता है :

परिवहन महाप्रबंधक
प्रथम तल, बल्लभढ़ बस स्टैंड,
बल्लभढ़ , फरीदाबाद
फोन नम्बर 0129 2241464
बस पूछ–ताछ सेवा –0129 2244953

जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत् भी उपरोक्त कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जन सूचना अधिकारी, शिक्षा विभाग को 10/– के पोस्टल ऑर्डर के साथ पत्र भेजना है ।

यदि जिला स्तर के द्वारा भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो राज्य स्तर के परिवहन विभाग कार्यालय से सम्पर्क करना होगा और अपनी समस्या या सुझाव बतानें होंगे।

जिला स्तर कार्यालय से मिली जानकारी से आप यदि संतुष्ट नही हैं तो जन सूचना अधिकार 2005 के तहत् भी राज्य स्तर के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । राज्य स्तर के कार्यालय का पता है :

निदेशक
हरियाणा परिवहन महानिदेशालय

30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर–17, चण्डीगढ़
फोन नम्बर–0172 2722980,2727263,2710371

Email: transport.haryana@gmail.com

अथवा

परिवहन आयुक्त,
30 बेज बिल्डिंग, दूसरा तल, सैक्टर–17, चण्डीगढ़
फोन नम्बर–0172 2784359

Email : stcharyana@hry.nic.in

1.3 रेल परिवहन

रेल यात्रा में मिलने वाली रियायत

रेल विभाग, यात्रा में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को, कई प्रकार की सुविधा व रेल किराये में रियायत देता है ताकि वो बिना किसी प्रकार की असुविधा के रेल यात्रा का आनन्द ले सकें ।

योजना क्या है ?

रेल विभाग , रेल यात्रा मे विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को कई प्रकार की सुविधा व रेल किराये में रियायत देता है जो इस प्रकार है :

1. विकलांग व्यक्ति
   - शारीरिक विकलांग / पैराप्लीजिक व्यक्ति , जो बिना किसी की मदद के यात्रा नहीं कर सकते हैं– किसी भी उददेश्य के लिए
   - मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति जो बिना किसी की मदद के यात्रा नहीं कर सकते हैं–किसी भी उददेश्य के लिऐ
   - अन्ध विकलांगता वाले व्यक्ति जो स्वयं या किसी की मदद के साथ यात्रा करते हैं –किसी भी उददेश्य के लिए

ऊपर दिए गए सभी विकलांग व्यक्तियों को 75 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी, स्लीपर श्रेणी, प्रथम श्रेणी 3 ए.सी., ए.सी.चेयर कार में मिलती है। 50 प्रतिशत छूट 1 ए.सी, 2 ए.सी. में मिलती है। 25 प्रतिशत छूट 3 ए.सी. व ए.सी. चेयर कार में राजधानी/शताब्दी रेल में मिलती है । 50 प्रतिशत छूट मासिक व तिमाही पास में मिलती है । इन सभी लोगों के साथ एक सहायक भी समान छूट के योग्य है ।

- सुनाई व बोली की कमी वाली विकलांगता वाले व्यक्ति(दोनो एक ही व्यक्ति में हों) जो स्वयं या किसी की मदद के साथ यात्रा करते हैं –किसी भी उददेश्य के लिए, उनको 50 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी, स्लीपर श्रेणी, प्रथम श्रेणी में मिलती है। 50 प्रतिशत छूट मासिक व तिमाही पास में मिलती है । एक सहायक भी समान छूट के योग्य है।

2. मरीज

- थैलेसिमिया वाले व्यक्ति जो कि अकेले या किसी सहायक के साथ ईलाज/जॉच के लिए यात्रा करतें हैं
- हृद्य रोग वाले व्यक्ति जो कि अकेले या किसी सहायक के साथ हृदय सृजरी के लिए यात्रा करते हैं
- व्यक्ति जिसे गुर्दे की बिमारी है जो कि अकेले या किसी सहायक के साथ गुर्दे बदलवाने/डायलिसिस के लिए यात्रा करते हैं । इन सभी लोगों को 75 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी, स्लीपर, प्रथम श्रेणी, 3 ए.सी., व ए. सी. चेयर कार में मिलती है। 50 प्रतिशत छूट, 1 ए.सी. व 2 ए.सी. में मिलती है। एक सहायक भी समान छूट के योग्य है।

- हीमोफिलिया के मरीज, जो कि अकेले या किसी सहायक के साथ ईलाज/जॉच के लिए यात्रा करते हैं, को 75 प्रतिशत छूट, दूसरी श्रेणी, स्लीपर, प्रथम श्रेणी 3 ए.सी. व ए.सी. चेयर कार में मिलती है। एक सहायक भी समान छूट के योग्य है।
- टी.बी /लूप्स वलगरीस¼त्वचा की टी.बी½ ds मरीज जो कि अकेले या किसी सहायक के साथ ईलाज/जॉच के लिए यात्रा करते हैं, को 75 प्रतिशत छूट, दूसरी श्रेणी, स्लीपर, प्रथम श्रेणी में मिलती है। एक सहायक भी समान छूट के योग्य है।
- असंक्रमणीय कुष्ठ रोगी जो कि उपचार/जॉच के लिए जाते हैं, को 75 प्रतिशत छूट, दूसरी श्रेणी, स्लीपर, प्रथम श्रेणी में मिलती है। एक सहायक भी समान छूट के योग्य है।
- कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो कि अकेले या किसी सहायक के साथ ईलाज/जॉच के लिए यात्रा करतें हैं उन लोगों को 75 प्रतिशत छूट, दूसरी श्रेणी, प्रथम श्रेणी व ए.सी. चेयर कार में मिलती है। 100 प्रतिशत छूट स्लीपर व 3 ए.सी. में मिलती है । 50 प्रतिशत छूट 1 ए.सी, व 2 ए.सी. में मिलती है। एक सहायक भी समान छूट के योग्य है।
- एड्स रोगी जो उपचार/जॉच के लिए नामांकित ए.आर. टी केन्द्र जाते हैं, उनको य़ात्रा में रियायत मिलती है।
- ओस्टमी रोगी जो किसी कारण यात्रा करते हैं, उन्हें 50 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी में मिलती है । 50 प्रतिशत छूट मासिक व तिमाही पास में मिलती है। एक सहायक भी समान छूट के योग्य है।

3. वरिष्ठ नागरिक

- पुरूष 60 वर्ष व अधिक को 40 प्रतिशत छूट सभी श्रेणी में मिलती है।
- महिला 58 वर्ष व अधिक को 50 प्रतिशत छूट सभी श्रेणी में मिलती है ।

किसी भी कारण के लिए यात्रा करने में और राजधानी/शताब्दी रेल/दूरन्तों में भी समान छूट मिलती है।

3 पुरस्कृत

- पुरस्कार पाने वाले की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो
  1.राष्ट्रपति पुलिस पदक बेहतरीन सेवा के लिए
  2.भारतीय पुलिस पुरस्कार उत्तम सेवा के लिए

  सभी श्रेणीयों व राजधानी/शताब्दी रेल/जन शताब्दी में किसी भी कारण वश यात्रा करने पर पुरुष को 50 प्रतिशत छूट व महिला को 60 प्रतिशत छूट मिलती है।

- श्रम पुरूस्कार धारक – औद्योगिक श्रमिक जो प्रधानमंत्री के श्रम पुरूस्कार से सम्मानित हो को किसी भी कारणवश यात्रा करने के लिए , 75 प्रतिशत छूट , दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है।
- राष्ट्रीय पुरस्कार धारक अध्यापकों को जिन्हें, राष्ट्रपति के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उदाहरणीय कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया हो (किसी कारण भी यात्रा कर रहे हो) को 50 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है।
- राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता बच्चे के माता–पिता (किसी कारण भी यात्रा कर रहे हों) को 50 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है।

1. शहीद सैनिकों की विधवाओं को छूट

- शहीद सैनिकों की विधवाओं (किसी कारण भी यात्रा कर रहे हों)को 75 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है।
- आई .पी. के.एफ. के सैनिक जो श्री लंका की कार्यवाही में शहीद हुए हैं, उनकी विधवाओं (किसी कारण भी यात्रा कर रहे हो)को 75 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है।
- पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के जवानों की विधवाएँ, जो आतकंवादी कार्यवाही के समय शहीद हुए हैं(किसी कारण भी यात्रा कर रही हो) को 75 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है ।
- रक्षा कर्मी जो आतकंवादी कार्यवाही के समय शहीद हुए हैं की विधवाओं को किसी भी कारण यात्रा करने पर 75 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है।
- कारगिल यद्ध1999 के शहीद सैनिकों की विधवाओं (किसी कारण भी यात्रा कर रही हो) को 75 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है।

2. विद्यार्थी

छात्र जो गृह नगर या शैक्षिक टूर पर जा रहे हों

- सामान्य वर्ग को–50 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है व 50 प्रतिशत छूट मासिक व तिमाही पास में मिलती है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति को 75 प्रतिशत छूट, दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है। 75 प्रतिशत छूट मासिक व तिमाही पास में मिलती है।
- लड़कियों के लिए स्नातक तक ,लड़कों के लिए 12वीं तक (मदरसा के विद्यार्थी भी शामिल हैं) घर से स्कूल तक निःशुल्क दूसरी श्रेणी का मासिक पास (एम.एस.टी.) बनता है।
- ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी को वर्ष में एक बार शैक्षिक टूर के लिए 75 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी में मिलती है।
- ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल की छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल , इन्जीनिरियंग आदि प्रवेश परीक्षा के लिए 75 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी में मिलती है।
- यू. पी. एस. सी. व केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग के मुख्य परीक्षा देने के लिए 50 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी में मिलती है।
- विदेशी छात्र जो भारत में पढ़ने के लिए आते हैं,उन्हें 50 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है ।
- शोध स्कॅालर को 35 वर्ष की आयु तक को शोध कार्य के सम्बन्ध में यात्रा करने में 50 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है।

- विद्यार्थी व गैर विद्यार्थी को कार्य कैम्प में भागीदारी के लिए 25 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है।
- कैडेट्स और मैरीन इन्जीनियर जो इन्जीनियरिंग प्रशिक्षण के लिए घर से प्रशिक्षण जहाज तक जा रहे हैं,को 50 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है।

3. युवा
   - युवा, जो राष्ट्रीय एकता कैम्प में शामिल होने के लिए जाते हैं व जब वे राष्ट्रीय युवा प्रोजक्ट में शामिल होने के लिए जाते हैं, तब उन्हें 50 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है। जब वे मनाव उत्थान सेवा भारती में शामिल होने के लिए जाते हैं , तब 40 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है ।
   - बेरोजगार युवा, जो निगम, सार्वजनिक उपक्रम,विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए साक्षात्कार देने के लिए यात्रा करते हैं तब 50 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है। केन्द्र तथा राज्य सरकार की नौकरी के साक्षात्कार देने के लिए यात्रा करने में 100 प्रतिशत छूट, दूसरी श्रेणी व 50 प्रतिशत छूट, स्लीपर में मिलती है ।
   - भारत स्कॉउट व गाइड स्काउटिंग ड्यूटी के लिए –50 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है।
4. किसान
   - किसान व औद्योगिक श्रमिक कृषि /औद्योगिक प्रर्दशनी को देखने के लिए यात्रा करने में–25 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है।
   - सरकार के द्वारा स्पॉन्सर विशेष रेल में किसान यात्रा के लिए 33 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है ।
   - किसान व दूध उत्पादक के राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान /प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है ।
   - प्रतिनिधि जो राष्ट्रीय सम्मेलन भारत कृषक समाज सर्वोदय समाज , वरधा में भाग लेने जा रहे हैं उन्हें 50 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर में मिलती है।

5. कलाकार व खिलाडी
   - कलाकारों को कला के प्रदर्शन के लिए यात्रा करने पर 75 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी, स्लीपर श्रेणी, में मिलती है। 50 प्रतिशत छूट 1 ए.सी, 3 ए.सी, 2 ए.सी. ,ए.सी. चेयर कार में मिलती है। 50 प्रतिशत छूट राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी रेल में 3 व 2 ए.सी. तथा ए.सी. चेयर कार में मिलती है।
   - फिल्म तकनीशियन जो फिल्म बनाने के लिए यात्रा करते हैं, उनको 75 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी, स्लीपर श्रेणी में मिलती है। 50 प्रतिशत छूट 1 ए.सी, 3 ए.सी, 2 ए.सी. तथा ए.सी. चेयर कार में मिलती है। राजधानी/शताब्दी/शामिल हैं में मिलती है।
   - खिलाड़ी भाग लेने जा रहा हो –अखिल भारतीय या राज्य व राष्ट्रीय स्तर टूर्नामेन्ट में 75 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी व स्लीपर श्रेणी में मिलती है। 50 प्रतिशत छूट प्रथम श्रेणी में मिलती है।.राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में खिलाडी भाग लेना जा रहा हो तो 75 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी, स्लीपर श्रेणी में व 50 प्रतिशत छूट प्रथम श्रेणी में मिलती है।
   - व्यक्ति जो पर्वतारोहण कैम्प में भाग लेने जा रहा हो, जो पर्वतारोहण कैम्प आई.एम.फ. के द्वारा आयोजित हो, तो 75 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी, स्लीपर श्रेणी व 50 प्रतिशत छूट प्रथम श्रेणी में मिलती है ।
   - प्रेस वाÙkर्ा जो केन्द्रीय/राज्य मुख्यालयों के द्वारा बुलाई गयी है, में जाने वालों के लिए 50 प्रतिशत छूट सभी रेलो में तथा राजधानी/शताब्दी में भी मिलती है। पत्नी व निर्भर बच्चा 18 वर्ष की आयु तक को 50 प्रतिशत छूट प्रत्येक विÙk वर्ष मे दो बार मिलती है।
6. मेडिकल प्रोफेशनल

- चिकित्सक– एलौपेथी के चिकित्सक के द्वारा किसी भी कारण के लिए यात्रा करने पर 10 प्रतिशत छूट सभी रेलों, जिनमें राजधानी/शताब्दी/शामिल हैं, की सभी श्रेणीयों में मिलती है।
- नर्स व मिड वाइफ को 25 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी, स्लीपर श्रेणी में मिलती है।

7. अन्य – कॉनफ्रैन्स कैम्प, टूर आदि के लिए

प्रतिनिधि, जो वार्षिक सम्मेलन के लिए जा रहे हैं, भारत सेवा दल के कार्यकर्ता ,प्राथिमिक उच्च व उच्चतम विद्यालयों के अध्यापक जो शैक्षिक टूर के लिए जा रहे हैं उन्हें 25 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी, स्लीपर श्रेणी में मिलती है । सेंट जोन्स एम्बूलेन्स के कार्यकÙाा को भी कॉनफ्रैन्स कैम्प, टूर आदि के लिए यात्रा करने पर 25 प्रतिशत छूट दूसरी श्रेणी, स्लीपर श्रेणी में मिलती है ।

8. इज्जत मासिक पास

व्यक्ति जिनकी मासिक आय 1500 रूपए से अधिक नहीं है तथा जो असंगठित क्षेत्र मे कार्य करते हैं उनको अधिकतम 100 कि.मी. की यात्रा करने के लिए केवल 25 रूपए लगते हैं ।

प्रकिया

रेल में यात्रा करने के लिए रियायती पास केवल बल्लभगढ़ या फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर ही बनते हैं, जिसके लिए स्टेशन अधीक्षक/प्रबंधक कार्यालय से फॉर्म मिलेगा। विकलांगता के सम्बन्ध में रियायत के लिए फॉर्म भरकर उसके साथ दो पासपार्ट आकार के फोटो व जिला अस्पताल बादशाह खान के द्वारा जारी किए गये रेल रियायत प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र व घर के पते का साक्ष्य प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र की छाया प्रति, अधीक्षक/प्रबंधक कार्यालय में जमा कराना होगी। अपना सम्पर्क नम्बर देना आवश्यक है, जिनकी जॉच रेलवे विभाग स्वयं दस्तावेज जारी करने वाले सक्षम प्राधिकरण के पास जाकर करेगा । दस्तावेजों की जॉच के बाद रेलवे के द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जाता है जिस पर एक यूनीक पहचान नम्बर होता है जिसे दिखाने पर टिकट खिडकी व नेट के द्वारा छूट प्राप्त कर सकते हैं । जिला अस्पताल बादशाह खान के द्वारा जारी किए गये रेल रियायत प्रमाण पत्र को रेल विभाग मान्यता देता है लेकिन उसके लिए बादशाह खान अस्पताल से रेल रियायत प्रमाण पत्र बनवाना पडता है ।

अन्य प्रकार की रियायत के लिए भी स्टेशन अधीक्षक/प्रबंधक कार्यालय से फॉर्म मिलेगा व वहीं पर जमा होगा तथा जरूरी दस्तावेज साथ जमा होगें ।

और अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

स्टेशन अधीक्षक/प्रबंधक,
स्टेशन अधीक्षक/प्रबंधक कार्यालय,
बल्लभगढ़/फरीदाबाद रेलवे स्टेशन
फरीदाबाद

यदि यहॉ से जानकारी प्राप्त नही होती है तो उत्तरीय रेलवे के कार्यालय से सम्पर्क करें जिसका पता है :

वरिष्ठ डी.जी.एम.,
उत्तर रेलवे

प्रथम तल, ऐनी बिल्डिंग
बड़ोदा हाउस, नई दिल्ली
फोन नम्बर– 01123387349, 32002599
ई मेल– **sdgm@nr.railnet.gov.in**

या

पब्लिक रिलेशन अधिकारी,
उत्तर रेलवे,
एन.डी सी. आर. बिल्डिंग
स्टेट एटी रोड, नई दिल्ली

जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत् भी यहॉ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

1.4 हवाई यात्रा

हवाई यात्रा में विभिन्न व्यक्तियों को मिलने वाली रियायतें

1. जो व्यक्ति देख नही पाते हैं

उन्हीं को रियायत मिलेगी जो बिल्कुल भी नही देख पाते हैं व भारत के नागरिक हैं। छूट केवल बेसिक किराये की 50 प्रतिशत ही मिलेगी ।

आवश्यक दस्तावेज– ऑखो के अस्पताल द्वारा या अन्ध विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए बने संस्थान जो राज्य/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त हों ,के मुखिया के द्वारा जारी प्रमाण पत्र से यह छूट मिलेगी ।

2. चलने मे परेशानी वाली विकलांगता वाले व्यक्ति

चलने मे परेशानी वाली विकलांगता वाले व्यक्ति जिनकी विकलांगता 80 **%** व अधिक हो व भारत का नागरिक हों । चलने मे परेशानी वाली विकलांगता में शामिल हैं, पैराप्लीजिया, हेमीप्लीजिया ,सेरिब्रल पॉल्सी, ,पोलियो ,मॅस्कुलर डिस्ट्रॅाफी और कटे हुए अंगों के गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति । छूट केवल बेसिक किराये की 50 प्रतिशत ही मिलेगी।

आवश्यक दस्तावेज –इस छूट को लेने के लिए मुख्य जिला चिकित्सक अधिकारी या सरकारी अस्पताल के द्वारा गठित बोर्ड के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आवश्यक होता है ।

3. कैंसर मरीज

व्यक्ति जो कैंसर बीमारी से पीडित हैं तथा जॉच व ईलाज के उद्देश्य से यात्रा करना चाहते हैं उनको ही रियायत मिलेगी परन्तु वे भारत के नागरिक होने चाहिए । छूट केवल बेसिक किराये की 50 प्रतिशत ही मिलेगी

आवश्यक दस्तावेज –एक प्रार्थाना पत्र जिसमे यात्री बतायेगा कि वह ईलाज के लिए यात्रा करना चाहता है तथा उसके साक्ष्य में कैसर अस्पताल/संस्थान की ओर से जारी प्रमाण पत्र लगाना होगा।

4 . स्ट्रैचर केस

कोई व्यस्क, बच्चा या नवजात ,स्ट्रैचर केस में तब ही स्वीकार किया जायेगा जब यात्री के साथ कम से कम एक सक्षम व्यक्ति पूरी यात्रा में यात्री की देखभाल कर सके । यदि व्यक्ति की परेशानी संक्रमणीय या व्यवहार दूसरे सहयात्रियों के लिए खतरे में डाल सकने वाला होगा तो वह यात्री स्वीकार नही किया जायेगा । बेसिक किराये का 6 गुना व अन्य कर केवल एक यात्री से लिए लगेगा ।

आवश्यक दस्तावेज– स्ट्रैचर यात्री के लिए के लिए एक परफॉर्मा पूरी तरह से भरकर व यात्री/सहायक तथा साथ चलने वाले चिकित्सक के द्वारा हस्ताक्षर करके जमा करना होगा ।

5. पुरस्कार विजेता के लिए रियायत

नागरिक– वीरता पुरस्कार विजेता नागरिक, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा वीरता के लिए अशोक और कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया हो ,उन्हें केवल बेसिक किराये की 75 प्रतिशत छूट चुनी हुई श्रेणी में ही, मिलेगी ।

आवश्यक दस्तावेज– गृह मंत्रालय के द्वारा जारी पहचान पत्र

वीरता के लिए राष्ट्रपति पुंलिस पदक व पुलिस पदक से सम्मानित पुलिस कर्मी को छूट केवल बेसिक किराये की 75 प्रतिशत चुनी हुई श्रेणी में ही मिलेगी ।

आवश्यक दस्तावेज– गृह मंत्रालय के द्वारा जारी पहचान/प्रमाण पत्र

6.खेल सम्बधित रियायत

खिलाड़ी जो राष्ट्रीय खेलों मे भाग लेने के लिए जा रहे हों तथा त्रिपुरा ,अरूणाचल प्रदेश ,मिजोरम , आसाम ,नगालैंड , मेघालय या मनीपूर राज्यों के हों, उन्हें छूट केवल बेसिक किराये की 25 प्रतिशत ही मिलेगी ।

आवश्यक दस्तावेज– खेल अयोजकों से लिखित प्रमाण पत्र जिसमें लिखा हो कि खिलाड़ी उपरोक्त राज्यों से है तथा राष्ट्रीय खेलों में वह व्यक्ति भाग लेने जा रहा हैं।

अर्जुन पुरस्कार विजेता

अर्जुन पुरस्कार विजेता को 6 बार आने–जाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में छूट केवल बेसिक किराये की 50 प्रतिशत मिलती है।

आवश्यक दस्तावेज– अर्जुन पुरस्कृत व्यक्ति को प्रत्येक बार टिकट लेते हुए अर्जुन पुरस्कार प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

1.5 परिवहन विभाग

फरीदाबाद जिले में रेल, बस परिवहन का प्रयोग लोग मुख्य तौर पर करते हैं तथा कुछ लोग निजी वाहन खरीद कर तथा उन वाहनों का परिवहन विभाग के द्वारा व्यवसायिक पंजीकरण करवाकर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं जिसमे ऑटो, कार, जीप, वैन,बस तथा टैम्पू शामिल है। कुछ ऐसे लोग हैं, जो निजी वाहन खरीद कर उन वाहनों का परिवहन विभाग के द्वारा निजी पंजीकरण करवाकर स्वयं व अपने परिवार के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने–जाने या यात्रा करने के लिए करते हैं । इन सभी प्रकार के वाहनों को चलाने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा लाईसेंस बनाया जाता है ,जो कि निजी व व्यवसायिक दोनों प्रकार के वाहन को चलाने के लिए आवश्यक है, इसे ड्राईविंग लाईसेंस कहते है । शारीरिक व मूक–बधिर विकलांगता वाले व्यक्ति को परिवहन विभाग के द्वारा वाहन चलाने का लाईसेंस प्रदान किया जाता है।

विकलांग व्यक्ति अपने वाहन में अपनी जरूरतानुसार बदलाव करते हैं ।

ड्राईविंग लाईसेंस के लिए पात्रता

आयु : 16 वर्ष पर केवल 50 सी.सी की मोटर साईकल के लिए, 18 वर्ष व अधिक पर सभी प्रकार के निजी वाहनों के लिए तथा 20 वर्ष पर व्यवसायिक वाहनों को चलाने के लिए

शिक्षा : किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आठवीं पास

प्रक्रिया

बल्लभगढ़ ब्लॉक के सभी गॉवो व शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों के निजी वाहनों के ड्राईविंग लाईसेंस बनाने के लिए प्राधिकरण उप–डिवीजन अधिकारी –सिविल बल्लभगढ़ है । ड्राईविंग लाईसेंस के आवेदन के लिए पंचायत भवन बल्लभगढ़ जाना होगा जहॉ खिड़की नम्बर 1 में 10 रूपए के शुल्क देने पर एक फाईल मिलेगी, जिसमें 2 फोटो, आयु, पहचान, पते व पढ़ाई तथा यदि विकलांग व्यक्ति आवेदन करता है तो विकलांगता प्रमाण पत्र के दस्तावेज लगाकर व एक शपथ पत्र बनवाकर कर तथा स्वयं के द्वारा सत्यापित करके, खिडकी नम्बर 11 पर 120 रूपए का शुल्क जमा करवाकर , मेडिकल जॉच के लिए जाना होगा । वहॉ चिकित्सक के द्वारा मेडिकल जॉच होती है । विकलांग व्यक्ति वाले केस में, यदि चिकित्सक को कोई परेशानी लगती है तो वे, सी.एम. ओ., बादशाह खान. जिला अस्पताल के द्वारा एक प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जिसमे लिखा होता है कि विकलांग व्यक्ति वाहन चलाने में सक्षम है । यहॉ से उत्तीर्ण होने के खिडकी नम्बर 12 से रसीद लेनी होगी तथा उसके बाद ई–दिशा केन्द्र पर जाकर फोटो खिंचवाना होगा । पहले लर्निंग लाईसेंस बनेगा ,जिसकी वैधता 6 मास तक होती है । लर्निंग लाईसेंस के बनने के 30 दिन के बाद पक्के लाईसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उप–डिवीजन अधिकारी –सिविल बल्लभगढ़ के कार्यालय का पता है :

उप–डिवीजन अधिकारी –सिविल,
उप–डिवीजन अधिकार –सिविल कार्यालय,
पंचायत भवन, बल्लभगढ़,
फरीदाबाद
फोन नम्बर : 0129–2304500,

व्यवसायिक वाहनों के लिए ड्राईविंग लाईसेंस जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा बनाये जाता है जिनके कार्यालय का पता है :

जिला परिवहन अधिकरी,
जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय,
सैक्टर–7, फरीदाबाद दूरभाष नम्बर : 0129–2304500,2227868

राज्य स्तर के कार्यालय का पता है :

परिवहन आयुक्त,
30 बेज बिल्डिंग, दूसरा तल, सैक्टर–17, चण्डीगढ़
फोन नम्बर–0172 2784359
Email : stcharyana@hry.nic.in

संदर्भ सूची

परिवहन : परिवहन विभाग बल्लभगढ व सैक्टर–12 कार्यालय तथा वैब साइट
www.faridabad.nic.in,www.hartrans.gov.in,www.haryanatransport.gov.in,www.indianrailways.gov.in,
www.haryanaredcross.org